

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

राष्ट्रदीप बनाम धर्मवीर वगै०

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र -212 संख्या 145 वर्ष 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
17.06.2021	<p>आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 05.07.21 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1089/0.63 है 0 ग्राम राईखेडा पर पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जायें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करे अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।</p>	

K
17/06/2021
 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा(अलवर)

23/6, पत्रावली प्रशासन मॉडों के संग अभियान-2021
 कोर्ट में पंघायत मुख्यालय 21/6/21
 पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित
 कोर्ट केस में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।
 अतः पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दिनांक
 25/7/21 को न्यायालय हाज्रा में पेश हो।

Shivir
 शिविर प्रमारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

25/6/21 पत्रावली कागद पेश हुई कोर्ट में 07/07/21 को
 कारण 07/07/21 पत्रावली 1 दिनांक 07/07/21 को
 पेश हुई *Shivir*

राष्ट्रीय वन्य चर्मवृत्त

07⁰⁴/₂₂ पत्रावली काठगुलाबाद के साथ पेश हुई प्रार्थना अधि.
अधिकांश वही का काद अफगानि अफगानि-के खारिज
हो चुका है अहा यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया
जाता है पत्रावली फंसल शुभार होकर संलग्न मूलकाद
हो।

पत्रावली

1801-संशोधित रूप के लिए संशोधित किया
..... संशोधित रूप के लिए
संशोधित रूप (संशोधित संशोधित) संशोधित रूप
संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप
संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप
संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप संशोधित रूप

संशोधित रूप
संशोधित रूप संशोधित रूप
(संशोधित) संशोधित संशोधित संशोधित